

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड



अपार शक्तेः स्त्रौतः गंगेयम्

"सिंचाई बढ़ाएं खुशहाली लाएं"

योजना का नाम:- एस0सी0पी0 मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के ग्राम दरांती में सुरक्षात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान सं0 30)

अनुमानित लागत : रु0 15.00 लाख

वर्ष : 2024-25

सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़।

सिंचाई खण्ड, धारचूला।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 744 / जि०यो०-7 / प्र०वि०स्वी० / 2024-25 दिनांक: 21 फरवरी 2025

कार्यालय झाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धवार्षिक पत्र संख्या 01/168/चा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिव्यय निर्धारित कर एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शारानादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय के प्राक्कानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या-30 एस०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

राजकीय सिंचाई धारचूला विभाग का जि०यो० 2024-25 हेतु अनुमोदित परिव्यय रु० 125.00 लाख के सापेक्ष अधिशारी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला को प्रथम किस्त हेतु कुल 79.50 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत कार्यालय पत्रांक 206/29.07.2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिशारी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा द्वितीय किस्त हेतु धनराशि 45.50 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है - (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	मद/कार्य का नाम/सं०	2024-25 हेतु अनुमोदित परिव्यय				प्रथम किस्त हेतु निर्गत धनराशि	द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मांग			
		सा०	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल योग		सा०	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल योग
1	नहर निमाण/जीपीआर के कार्य/ 12 सं०	40.77	4.00	-	44.77	20.57	15.00	0.00	0.00	15.00
2	वाड सुरक्षा/कटाव निरोधक कार्य/ 20 सं०	31.08	21.00	25.00	77.08	55.78	6.50	21.00	3.00	30.50
3	उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार कार्य/ 01 सं०	3.15	-	-	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	75.00	25.00	25.00	125.00	79.50	21.50	21.00	3.00	45.50

कार्यों का विवरण -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	कार्य के टेंडर की धनराशि	कार्य में 2023-24 तक प्राप्त धनराशि	कार्य में 2023-24 तक व्यय धनराशि	वर्ष 2024-25 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त हेतु प्राप्त धनराशि	वर्ष 2024-25 में द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मांग	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं धनराशि मांग का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत चालू योजनाएं :-									
1	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत गोगई नहर के जीपीआर की योजना। (सामान्य)	22.05	22.05	17.05	17.05	1.30	1.30	-	-
2	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड धारचूला के अन्तर्गत उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार एवं रेन वाटर हारवेस्टिंग टैंक के निर्माण की योजना। (सामान्य)	26.50	24.90	21.75	21.75	3.15	3.15	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-									
3	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत खुगली नहर के जीपीआर की योजना। (सामान्य)	18.00	18.00	8.23	8.23	6.77	6.77	-	-
4	विकासखण्ड धारचूला में एलागाड नाल के दायां पार्श्व पर स्थित ग्राम पंचायत जुगा तोक रोडा पणमजला की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	12.00	7.25	7.25	4.75	4.75	-	-
5	विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत गाजकोट नहर के जीपीआर की योजना। (सामान्य)	15.00	11.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
6	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम धारपांगू में टीखाको नाले में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	-	-
7	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम जोशा के तोक रुखियाथीर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	-
8	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम तोमिक में गुरगा सेली में भवना की सुरक्षा हेतु वाड सुरक्षा कार्य। (टी०एस०पी०)	15.00	15.00	12.00	12.00	3.00	3.00	-	-
9	विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम तल्ला धोरपट्टा के पारा भलयाँला नाले में वाड सुरक्षा कार्य। (टी०एस०पी०)	15.00	15.00	10.50	10.50	4.50	4.50	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

विकासखण्ड धारचूला में बलुवाकोट करने के मुद्दे का गांव में लोक जीताउ के मकानों एवं कृषि भूमि की नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	8.50	2.50	2.50	5.70	5.70	-	-
विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम रिगू में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	7.00	2.50	2.50	4.00	4.00	-	-
विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम कौटी के लोक मुकलूम में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	2.70	2.70	4.30	4.30	-	-
विकासखण्ड धारचूला में ग्राम फिलम में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	10.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	-	-
विकासखण्ड धारचूला में ग्राम गो में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	12.00	12.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम चतुकोट के तल्ला घोरपट्टा में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	12.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-
विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम सरगाली के लोक नया बरसी तल्ला में आवासीय मकानों के पारा भालूखोला नाले में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	12.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

विकासखण्ड धारचूला में चतुवाकोट के घर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	6.00	3.00	3.00	2.50	2.50	-	-
विकासखण्ड धारचूला में ग्राम घल में थोवा नाले में सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	10.00	6.00	3.00	3.00	2.53	2.53	-	-
विकासखण्ड धारचूला में लिण्डा नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (सामान्य)	7.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	-	-
विकासखण्ड धारचूला में ग्राम वरम नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	12.00	12.00	8.00	8.00	4.00	4.00	-	-
विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम टिगटिया में ओरना गधेरे में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 टी0एस0पी0)	10.00	10.00	3.89	3.89	4.00	4.00	-	-

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

विकासखण्ड मुनस्यारी में सविता नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	10.00	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड धारचूला में चन्द्रखेत नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	12.50	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड धारचूला में दुगातोली नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड धारचूला में पथगांव नहर के मरम्मत एवं विस्तारीकरण का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत एवं नहर के विस्तारीकरण का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड धारचूला में ग्राम राथी के लोक जलधर में बाट सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड धारचूला में ग्राम बलुवाकोट के घासगांव में सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	9.80	-	-	3.50	-	3.50	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड मुनस्यारी में कौटी नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम दसली में सुरक्षात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	15.00	-	-	7.00	-	7.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम जीली में सुरक्षात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	12.00	-	-	5.00	-	5.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।
विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम शिमलखंड की मुजगट नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	10.00	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावहन अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

	विकासखण्ड धारवूला में वस्तुकोट के घर में पीछा भाग में लोक जीविके के भवना एवं पुरे में नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	8.50	2.50	2.50	5.70	5.70	-	-
11	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम सिंग में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	7.00	2.50	2.50	4.00	4.00	-	-
12	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम जौली के लोक मुकदम में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	2.70	2.70	4.30	4.30	-	-
13	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम भित्तम में कटाव निरोधक कार्य। (डीएसओपीओ)	10.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	-	-
14	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम गो में कटाव निरोधक कार्य। (डीएसओपीओ)	12.00	12.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
15	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम चतुकोट के चत्ता धोरपट्टा में कटाव निरोधक कार्य। (डीएसओपीओ)	12.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-
16	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम सारमाती के लोक नया बरडी चत्ता में आवासीय भवना के फरा बालूखोल्टा नाते में कटाव निरोधक कार्य। (डीएसओपीओ)	12.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

17	विकासखण्ड धारवूला में वस्तुकोट के घर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	6.00	3.00	3.00	2.50	2.50	-	-
18	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम चले में शोवा नाते में सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	10.00	6.00	3.00	3.00	2.53	2.53	-	-
19	विकासखण्ड धारवूला में सिण्णा नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	-	-
20	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम वरम नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (अनुदान संख्या-30 एसओपीओ)	12.00	12.00	8.00	8.00	4.00	4.00	-	-
21	विकासखण्ड धारवूला में अन्तर्गत ग्राम टिंगटिंग में ओरना नहर में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 डीएसओपीओ)	10.00	10.00	3.89	3.89	4.00	4.00	-	-

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

22	विकासखण्ड धारवूला में सिमला नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
23	विकासखण्ड धारवूला में बन्दरवाट नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	12.50	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
24	विकासखण्ड धारवूला में दुभाताली नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
25	विकासखण्ड धारवूला में पशामा नहर के मरम्मत एवं विस्तारिकरण का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत एवं नहर के विस्तारिकरण का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
26	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम राखी के लोक जलधर में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
27	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम वस्तुकोट के दोसगाव में सुरक्षात्मक कार्य। (सामान्य)	9.80	-	-	-	3.50	-	3.50	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
28	विकासखण्ड धारवूला में जौली नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
29	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम दसोती में सुरक्षात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओपीओ)	15.00	-	-	-	7.00	-	7.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
30	विकासखण्ड धारवूला में ग्राम जौली में सुरक्षात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओपीओ)	12.00	-	-	-	5.00	-	5.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।
31	विकासखण्ड धारवूला में अन्तर्गत ग्राम सिमला नहर की सुदृढ नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओपीओ)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु पत्रावदन अपेक्षित है।

उत्तराखण्ड के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम हरन के लोक गुजल की संख्या: 31 संख्या हेतु कटान निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओसी0010)	9.80	-	-	3.00	-	3.00	सामकर्मियों के आन-मान एवं कृति भूमि की मुख्य के लिए कार्य किया जाएगा, कार्य करना हेतु प्रस्तावित आपेक्षित है।
जनपद विकासखण्ड के विकासखण्ड मुनराशि में उपर्युक्त में कटान निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एसओसी0010)	8.00	-	-	3.00	-	3.00	सामकर्मियों के आन-मान एवं कृति भूमि की मुख्य के लिए कार्य किया जाएगा, कार्य करना हेतु प्रस्तावित आपेक्षित है।
34 विकासखण्ड मुनराशि के अन्तर्गत ग्राम विमटिया के लोक तल्ला विमटिया की सम्पत्ति नदी से कटान निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 टी0एसओ0010)	10.00	-	-	3.00	-	3.00	सामकर्मियों के आन-मान एवं कृति भूमि की मुख्य के लिए कार्य किया जाएगा, कार्य करना हेतु प्रस्तावित आपेक्षित है।
योग	429.65	240.45	148.37	148.37	125.00	79.50	45.50

- उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशारी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024-25 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशारी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला को मुख्य सचिव, विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/गु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा0यो0आ0, नियोजन सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 एवं अपर प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू 45.50 लाख (पैंतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-
- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - 2- उक्त व्यय में वजट मैन्युअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
 - 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिव्य किराी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
 - 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
 - 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्परचात ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
 - 7- वजट मैन्युअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर वजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र टी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 - 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
 - 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
 - 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
 - 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।
 - 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रावयूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
 - 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को युक्त ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 14- किसी भी दशा में टी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
 - 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
 - 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 17- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किराी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
 - 18- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।
 - 19- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी